संख्या-15/2019/1196/33-3-2019-एल.सी./2017

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक- 24 मई, 2019**

विषय:- प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा, गोवंश की ज्वलन्त समस्या के निदान हेतु ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के मार्ग-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में निराश्रित/ बेसहारा, गोवंश की ज्वलंत समस्या के निदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय विभागों द्वारा गोशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। पशु अतिचार अधिनियम-1871 (संशोधित-21 अगस्त, 1996) में दिए गए प्रावधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1980 की धारा चार के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश पत्रांक-9-3/2018-19/पी0सी0ए0 दिनांक 12.07.2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।

पंचायतीराज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत) को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में धनराशि उपलब्ध कराई गई है। शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर-2.1 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायतें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि से नये निर्माण कार्यों सी0सी0रोड/ खडण्जा/ नाली/पुलिया निर्माण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं पर प्राथमिकता के आधार पर खर्च करेंगीं। उक्त प्रावधानों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा/निराश्रित पशुओं हेतु कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश निम्नवत है:-

1. छुट्टा/निराश्रित पशुओं हेतु निर्मित कराये जा रहे गोशालाओं में ग्राम पंचायतें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से पेयजल (हैण्डपम्प) एवं प्रकाश व्यवस्था किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. ग्राम पंचायतों द्वारा उक्त कार्यों पर एक मुश्त धनराशि का ही व्यय किया जा सकेगा। राज्य वित्त आयोग/14 वां वित्त आयोग से आवर्ती प्रवृत्ति के कार्यों पर कोई धनराशि व्यय नहीं किया जायेगा।

3. ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों में राज्य वित्त आयोग/14वॉ वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

अत: कृपया छुट्टा पशुओं/निराश्रित पशुओं हेतु कराये जाने वाले कार्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करते हुए प्लान प्लस पर फीड कराकर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से उपरोक्तानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. संयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।